



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230762
CG-DL-E-27102021-230762

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]
No. 515]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 27, 2021/कार्तिक 5, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 2021/KARTIKA 5, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2021

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-भाखासंमाप्रा.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप- धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

सारणी में,-

1. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में,

(क) गोवा के नीचे, क्रम संख्या 1 के पश्चात संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"2	खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, गोवा	रासायनिक "

<p>पंजीकरण सं. 61/ डब्ल्यू / एफएसएसएआई / 2021</p> <p>खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय</p> <p>“धन्वंतरी” द श्राइन ऑफ़ होली क्रॉस के सामने,</p> <p>बम्बोलिम, गोवा- 403202</p>	
--	--

(ख) गुजरात के नीचे, क्रम संख्या 17 के पश्चात संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टि को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“18	<p>केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क प्रयोगशाला, वड़ोदरा</p> <p>पंजीकरण सं. 62 / डब्ल्यू / एफएसएसएआई / 2021</p> <p>कमरा सं.-311 तीसरी मंजिल</p> <p>जीएसटी भवन, सुभानपुरा</p> <p>वड़ोदरा-390023</p>	रासायनिक एवं जैविक”।

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./380/2021-22]

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन की गई:-

- (i) का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
- (iv) का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- (vi) का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- (vii) का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
- (viii) का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
- (ix) का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
- (x) का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
- (xi) का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018;
- (xii) का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2019;
- (xiii) का.आ. संख्या 1722 (अ), दिनांक 8 मई, 2019;

- (xiv) का.आ. संख्या 2842 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 2019;
- (xv) का.आ. संख्या 3428 (अ), दिनांक 18 सितम्बर, 2019;
- (xvi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 13 फरवरी, 2020;
- (xvii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 23 जुलाई, 2020;
- (xviii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 4 दिसम्बर, 2020;
- (xix) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 12 जनवरी, 2021;
- (xx) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 फरवरी, 2021;
- (xxi) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 10 मार्च, 2021;
- (xxii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 2 जून, 2021;
- (xxiii) फाइल सं. 12012/01/2019-क्यूए (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 25 जून, 2021;
- (xxiv) फाइल सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-भाखासंमाप्रा (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 2 सितम्बर, 2021 और
- (xxv) फाइल सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-भाखासंमाप्रा (भाग III, खंड 4 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना), दिनांक 8 अक्टूबर, 2021।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2021

F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'B' related to WESTERN REGION,

a) under Goa, after serial number 1, the following entries shall be inserted in respective columns namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“2	Food & Drug Laboratory, Goa Reg. No. 61/W/FSSAI/2021 Directorate of Food and Drugs Administration, “Dhanvantari” Opp. The Shrine of Holy Cross, Bambolin, Goa-403202	Chemical”.

b) under *Gujarat*, after serial number 17, the following entries shall be inserted in respective columns namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“18	Central Excise & Custom Laboratory, Vadodara Reg. No. 62/W/FSSAI/2021 Room No.- 311 3 rd floor, GST Bhavan, Subhanpura Vadodara-390023	Biological Chemical”.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./380/2021-22]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- i. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017,
- ii. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017,
- iii. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017,
- iv. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017,
- v. S.O. number 3068 (E), dated the 14th September, 2017,
- vi. S.O. number 3279 (E), dated the 29th September, 2017,
- vii. S.O. number 4083 (E), dated the 22nd December, 2017,
- viii. S.O. number 848(E), dated the 19th Feb, 2018,
- ix. S.O. number 1516 (E), dated 28th March, 2018,
- x. S.O. number 2426(E), dated 13th June, 2018,
- xi. S.O. number 6207 (E), dated 12th December, 2018,
- xii. S.O. number 1377(E), dated 8th March, 2019,
- xiii. S.O. number 1722 (E), dated 8th May, 2019
- xiv. S.O. number 2842 (E), dated 6th August, 2019
- xv. S.O. number 3428 (E), dated 18th September, 2019
- xvi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 13th February, 2020
- xvii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 23rd July, 2020,
- xviii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 4th December, 2020,
- xix. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 12th January, 2021,
- xx. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th February, 2021
- xxi. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 10th March, 2021
- xxii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 2nd June, 2021
- xxiii. F. No. 12012/01/2019-QA (Notification under Part III, Section 4), dated 25th June, 2021 and
- xxiv. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 2nd September, 2021
- xxv. F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI (Notification under Part III, Section 4), dated 8th October, 2021